


# Original


रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, रांची  
जनन प्लान नंबर संख्या 11/2015  
स्वीकृति के क्रम में जमुना पत्र

प्रत्यक्ष क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम 2001 की धारा 38 एवं वर्तमान जनन उपनियम के अंतर्गत प्रस्तावित जनन निर्माण / वर्तमान जनन में परिवर्धन / परिवर्तन के नक्शे में निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति दी जाती है :-

- (1) निम्न लिखित कार्य प्रारम्भ करने के क्रम से कम से कम 15 (पन्ध्र) दिनों के पहले विहित प्रपत्र में सचिव को सूचित करेंगे।
- (2) निम्नलिखित कार्य की समाप्ति पर प्राधिकार के संबंधित अधिकारी / वास्तुकार / सुपरवाइजर द्वारा विहित-प्रपत्र में समाप्त-पत्र देवे जिनके सवनीकी परीक्षण के कार्य किया गया है।
- (3) रोड विस्तार हेतु छोड़ी गई भूमि पट्टी / पट्टीयों को छोड़कर ही बाहरदीवारीका निर्माण करना होगा।
- (4) स्वीकृत जनन प्लान में दर्शाई गयी रोड छोड़कर हेतु छोड़ गयी भूमि नि:शुल्क सरकार / प्राधिकार की रोड विस्तार, विडार हेतु उपलब्ध कराएंगे।
- (5) नक्शे की स्वीकृति पात्र तीन वर्षों के लिए बंध रहेगी। नक्शे उपरोक्त नियमानुसार अनुशासक पुनर्मान्यन कराना अनिवार्य होगा।
- (6) स्वीकृत नक्शे से विचलन मान्य नहीं होगा।
- (7) जनन प्लान की स्वीकृति प्राप्त की है तो नक्शा के अंतर्गत विकास प्राधिकार अधिनियम की धारा 38 के अन्तर्गत जनन प्लान की स्वीकृति रद्द नहीं की जायेगी।
- (8) अन्य कोई शर्त :-

उपाध्यक्ष के आदेश से उपाध्यक्ष के आदेश से

  
नगर निवेशक  
रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार  
रांची

  
सचिव  
रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार  
रांची

214

Checked and Found Correct

30/12/15  
E

  
30/12/15  
AE

R. R. D. A., RANCHI